POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983)

#ग्रा.ग./2026/अंक 08

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 अगस्त, 2026

मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

केंद्र की पहल पर राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स (डीजीजीआई) प्रदेश में सुशासन को सुदृढ़ करने में एक दूरदर्शी कदम साबित होगा। इस पहल का उद्देश्य जिलों के प्रशासनिक प्रदर्शन का वैज्ञानिक, पारदर्शी और तथ्यात्मक मूल्यांकन करना है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में जवाबदेही, दक्षता तथा नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा मिल सके।

अब तक जिलों की पहचान खासतौर पर विकास कार्यों या राजनीतिक प्रभाव के आधार पर की जाती रही है। लेकिन नई व्यवस्था के माध्यम से जिलों की रैंकिंग उनके वास्तविक प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के आंकड़ों, योजनाओं के क्रियान्वयन, सेवा वितरण, प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, शिकायत निवारण, तथा नागरिक सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण मानकों का मूल्यांकन किया जाएगा।

इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रत्येक जिले के लिए एक 'प्रशासनिक रिपोर्ट कार्ड' तैयार किया जाएगा। इससे स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि कौनसा जिला शासन व प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहा है और किन क्षेत्रों में अब सुधार की आवश्यकता है। इससे जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रशासनिक अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी।

डीजीजीआई न केवल प्रशासनिक गुणवत्ता को मापने का माध्यम बनेगा, बल्कि यह नीति निर्माण एवं संसाधनों के प्रभावी उपयोग में भी सहायक सिद्ध हो सकेगा। डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूती मिलने से शासन अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी बन सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में केंद्र की यह पहल, प्रदेश में नई संस्कृति विकसित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, बशर्ते सुधार की प्रक्रिया सिर्फ कागज पर नहीं धरातल स्तर पर क्रियान्वित होती दिखे...।

नाता प्रथा पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाता प्रथा को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिना विधिक रूप से तलाक लिए दूसरी शादी जैसा संबंध स्थापित करने वाली यह प्रथा हिन्दू विवाह अधिनियम के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। इसे समाज में स्वीकार्य प्रथा के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती।

न्यायाधीश अरुण मोंगा व न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने एक वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में पति की अपील खारिज करते हुए यह विस्तृत टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इस प्रथा का सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है और इससे दो महिलाओं का जीवन असुरक्षित स्थिति में पहुंच जाता है। नाता विवाह पर कोई भी चर्चा महिलाओं पर इसके प्रभाव को समझे बिना पूरी नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में पहली पत्नी बिना तलाक के कानूनी रूप से पत्नी बनी रहती है, लेकिन व्यवहार में उसे छोड दिया जाता है। वहीं नाता संबंध में रहने वाली महिला को भी वैधानिक वैवाहिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। उसे भरण-पोषण, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे अधिकारों का संरक्षण नहीं मिल पाता।

कैरी बैग दिया, 10 रुपए वसूले, अब देना होगा हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग जोधपुर-प्रथम में महामंदिर निवासी विकास राठी ने जूडियो (ट्रेंट लिमिटेड़) कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार परिवादी ने 24 मार्च 2024 को पीडब्ल्यूडी कॉलोनी स्थित जूडियो स्टोर से दो नाइट वियर बरमूड़े खरीदे थे। बिल में उनसे कैरी बैग के नाम पर 10 रुपए अतिरिक्त वसूले गए। विरोध करने पर कर्मचारियों ने कैरी बैग लेना अनिवार्य बताया।

मामले की सुनवाई पर कंपनी ने आयोग के समक्ष दलील दी कि ग्राहक ने अपनी सहमति से पेपर बैग खरीदा था। उपभोक्ता आयोग ने दी गई दलील को खारिज करते हुए ग्राहक से कैरी बैग के 10 रुपए वसूलने को सेवा में कमी माना। आयोग ने जूडियो (ट्रेंट लिमिटेड़) कंपनी को 10 रुपए वापस लौटाने के साथ ग्राहक विकास राठी को मानसिक पीड़ा के एवज में 5000 रुपए और परिवाद खर्च के 5000 रुपए कुल 10,010 रुपए दो माह में अदा करने के आदेश दिए हैं।

थोपा हुआ नहीं हो गांवों का विकास

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति तभी प्रकट होती है, जब निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हों।

गांवों का विकास बाहर से थोपा हुआ नहीं, बल्कि गांवों की जरूरतों, परंपराओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। गांवों को बचाना सिर्फ सांस्कृतिक दायित्व नहीं, यह राष्ट्रीय आवश्यकता है। भारत का भविष्य तभी संतुलित और स्थायी होगा, जब गांव आधुनिकता को अपनाएं, किंतु अपनी आत्मा को सुरक्षित रखते हुए। गांवों में समुदाय अब भी जीवन का केंद्र है। वहां आज भी सामुदायिक जीवन, श्रम संस्कृति, आत्मसम्मान और सामाजिक सहभागिता की परंपरा जीवंत है।

आदिवासी वैद्यों को मिलेगी मान्यता

अब जंगलों, पहाड़ों की बस्तियों में पीढ़ियों से चले आ रहे आदिवासी चिकित्सा ज्ञान को नई पहचान मिलेगी। जड़ी बूटियों व पारंपरिक उपचार पद्धतियों से छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करने वाले जनजातीय वैद्यों को सरकार औपचारिक रूप से मान्यता देने की तैयारी में है।

यह पहल जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने शुरू की है। मंत्रालय का मानना है कि जंगलों में रहने वाले लाखों परिवार प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय वैद्यों पर भरोसा करते हैं। ऐसे में उनके ज्ञान का संरक्षण, दस्तावेजीकरण व संस्थागत उपयोग आवश्यक है। इन वैद्यों में से मास्टर ट्रेनर तैयार होंगे जो आगे पारंपरिक स्वास्थ्य तंत्र का हिस्सा बनेंगे।

गरीब परिवारों के हक पर डाका

प्रदेश में 33 जिलों की 473 डीलर समितियों ने गरीब परिवारों के हक का 59 लाख किलो गेहूं बाजार में बेच खाया। इन गरीब परिवारों की रसोई राशन की दुकान पर मिलने वाले इस गेहूं से चलती है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से यह गेहूं गरीबों को बांटा जाना था।

गरीबों के इस गेहूं का गबन करने मे टॉप पांच जिलों में बांसवाड़ा, बारां, कोटा, अलवर, और सिरोही हैं। पीडीएस अधिकारियों के अनुसार अधिकांश मामलों में फर्जी वितरण, रिकॉर्ड में हेराफेरी, लाभार्थियों के नाम पर फर्जी उठाव, स्टॉक में गड़बड़ी और खुले बाजार में गेहूं बेचने जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं। विभाग ने अब हर जिले के रसद कार्यालय में वसूली शाखा बनाने का आदेश जारी किया है।

लाडो प्रोत्साहन योजना में किया बदलाव

लाडो प्रोत्साहन योजना बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। शिक्षा विभाग ने योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर कर बड़ा बदलाव किया है।

योजना में दो से अधिक संतान होने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। अब तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करते हुए सभी पात्र बालिकाओं को पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से लाभ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। पात्र बालिकाओं को 1 लाख 50 हजार रुपए का संकल्पपत्र दिया जाता है। अब तक 6.50 लाख से अधिक बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।

पंचायत विकास सूचकांक नया आधार

अब गांवों का विकास केवल अनुमान नहीं, बल्कि आंकड़ों के आधार पर तय होगा। पंचायतीराज मंत्रालय ने ई-गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल तैयार किया है, जहां राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत का नौ प्रमुख विकास मानकों पर डिजिटल रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध है।

इन आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायतों से लेकर जिला स्तर तक वार्षिक विकास योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। ग्राम सभाओं को इन्हीं सूचकांकों के आधार पर विकास की प्राथमिकताएं तय करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अभिनव पहल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जा चुका है।

प्राकृतिक खेती को नहीं मिली रफ्तार

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन(एनएमएनएफ) योजना राजस्थान में भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी इस दिशा में ज्यादा काम नहीं हो पाया है।

इस योजना में किसानों को प्राकृतिक खेती करने, प्रशिक्षण प्राप्त करने, पशुधन के रखरखाव, प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने के लिए प्रति किसान प्रति एकड़ प्रति वर्ष 4000 रुपए का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (प्रति किसान अधिकतम एक एकड़ तक) देने का प्रावधान है। इस योजना में 4 फरवरी 2026 तक राजस्थान में 510 किसान सर्टिफाइड हुए हैं। इसके अलावा बहुत से किसान ऐसे भी हैं,जो अपने परिवार के लिए प्राकृतिक खेती कर रहे हैं।

गांव बना ग्लोबल आर्ट विलेज

झारखंड के रांची जिले के आदिवासी गांव चिरूडीह के घरों की दीवारों पर पारंपरिक सोहराई कला की चित्रकारी को देख कर फ्रांस, कनाड़ा, अमेरिका और ब्रिटेन से आने वाले पर्यटक मुग्ध हो जाते हैं। इस गांव की पहचान अब 'ग्लोबल आर्ट विलेज' की हो गई है।

चिरूडीह के युवा कलाकार मनीष कुमार महतो ने गांव में पिता की याद में कला सदन संग्रहालय बनाया है। वह अपने दोस्तों के साथ मिल कर यहां गांव की महिलाओं व नई पीढ़ी को फ्री में चित्रकारी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे गांव की बालिकाएं साड़ियों और गमछों पर भी चित्रकारी कर अच्छी कमाई कर रही हैं। इसे देखकर आसपास के दूसरे गांव भी अपने घरों की दीवारों को सजा रहे हैं। गांव में अब बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आने लगे हैं।

गांवों में बंजर मगरे उगल रहे बिजली

प्रदेश में जैसलमेर के बाद अब बाड़मेर का शिव क्षेत्र भी विंड एनर्जी का हब बन रहा है। यहां अनुपयोगी भूमि पर निजी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा संयंत्र लगाकर नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। यहां 300 से अधिक पवन चक्कियां चल रही हैं।

इससे यहां स्थानीय युवाओं को अच्छा रोजगार मिल रहा है और अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार एक आधुनिक पवन चक्की अनुकूल हवा मिलने पर प्रतिदिन 20 से 30 हजार यूनिट तक बिजली उत्पादन कर सकती है। पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत माना जाता है।

'ग्रास रूट इनोवेशन' को मिलेगी पहचान

राजस्थान के गांवों में कोई किसान खेती के टूल में बदलाव करके इनोवेशन कर रहा है, कोई छात्र कम खर्च में नया मॉडल बना रहा है, तो कोई रोजमर्रा की परेशानी का आसान समाधान निकाल रहा है। ऐसे नए आइडिया को इनोवेशन की पहचान देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 'ग्रास रूट इनोवेशन ऑफ राजस्थान' पहल शुरू की है।

इस पहल के जरिए प्रदेश के गांवों, पंचायतों, स्कूलों में किए गए इनोवेशन की जानकारी जुटाई जाएगी। विभाग ने इसके लिए वेबसाइट और गूगल फॉर्म लिंक जारी किया है। जिससे वे अपने इनोवेशन की जानकारी ऑनलाइन भेज सकेंगे। इनोवेशन को पेटेंट और मार्केट तक पहुंचाने में विभाग द्वारा मदद की जाएगी।

गांवों को मिलेगा रोज एक घंटा पानी

राजस्थान के 41 जिलों के 53 हजार गांवों को रोज एक घंटा पानी सुनिश्चित करने, सप्लाई को निर्बाध चलाने को लेकर नई संशोधित नीति लाई जा रही है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों की सभी पेयजल योजनाओं को इस नीति के तहत ही संचालित किया जाएगा।

नीति के तहत हर घर को बाहर से पानी लाने की बजाय सीधे नल से पानी सुनिश्चित कराने पर काम हो रहा है। इसके तहत उपलब्ध जल का रोजाना घर-घर तक संघारण तथा प्रसारण कैसे हों, पर फोकस किया गया है। संशोधित नीति में करीब 95 लाख से अधिक घरों को शुद्ध जल की सप्लाई सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है।

ग्रामसभाओं से दूर हो रही नई पीढ़ी

देश में लोकतंत्र की पहली सीढ़ी ग्रामसभा नए संकट का सामना कर रही है। गांव की नई पीढ़ी ग्राम सभाओं से लगातार दूर होती जा रही है। ग्रामीणों का बड़ा वर्ग अब ग्रामसभा को समस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच नहीं मानता है।

यह राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान द्वारा ग्रामसभा की वास्तविक स्थिति जानने के उद्देश्य से कराए गए अध्ययन में सामने आया है। अधिकांश राज्यों में युवा वर्ग ग्रामसभाओं का सबसे कम प्रतिनिधित्व वाला हिस्सा बन गया है। ग्रामसभा की बैठकों में चर्चा के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं दिखने और पारदर्शिता की कमी से लोगों का ग्रामसभा के प्रति भरोसा भी कमजोर पड़ रहा है।

होममेकर नहीं, राष्ट्र निर्माता हैं गृहणियां

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि घर संभालने वाली महिलाएं सिर्फ होममेकर नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता हैं। वाहन दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक केस में कोर्ट ने कहा कि महिला की मृत्यु 'घरेलू देखभाल का नुकसान' है।

मुआवजे की गणना के लिए महिला के घरेलू श्रम का मूल्य कम से कम 30 हजार रुपए प्रति माह माना जाए। यह राशि हर तीसरे साल 10 प्रतिशत बढ़ेगी। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के घरेलू काम का जीडीपी में 15 फीसदी से 17 फीसदी योगदान माना जाता है। महिलाएं रोज 7 घंटे से अधिक अवैतनिक कार्य करती हैं। महिलाओं की मानव पूंजी निर्माण में बड़ी भूमिका है, जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और देश के कई सपने टिके होते हैं।

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोन: 228 2821 से 23 फैक्स: 0141-228 2485